1	2	3
	those charged with Commission of heinous offences.	with regard to dropping of cases at the investigation stage and withdrawal of cases pending in courts. Distt. Magistrates have been authorised to withdraw certain categories of criminal cases under trial.
	(e) Consider withdrawal of the prohibitory Orders/notifications in force, if any.	According to the State Government, notifications under the Assam Disturbed Areas Act, 1955 have been withdrawn throughout the State except in case of vital installations and border areas.
PARA 3		
	(a) The Election Commission will be requested to ensure preparation of air electoral rolls. (b) time for settlement of claims and objections to be extended by 30 days subject to this being consistent with the election rules; and (c) the Election Commission will be requested to send Central observers.	The Election Commission extended the time by 30 days upto 27th September, 1985 for filing claims and objections to the draft electoral rolls. Ten Central Observers were also deputed to Assam to supervise the preparation of the electoral rolls. Electoral rolls finally published on 7th November, 1985 and elections announced in Assam.
(2)	(a) to establish an oil refinery in Assam Government will render all possible assistance in terms of institutional and Bank finance to facilitate the establishment of a refinery in the private sector.	The Ministry of Petroleum are seized of this matter.;
	(b) Central Government will render full assistance to the State Government in their efforts to re-opening :	
	(i) Ashok Paper Mill. (ii) Jute Mill	Consultations are going on between the State and Central Government and the financial institutions regarding the re-opening of the Ashok Paper Mill and Cooperative Jute Mill at Silghat.
	(c) An I.I.T. wil be set up in Assam.	The Ministry of Education are seized of this matter.

राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका पर की गई घोषणा का पाठ

1234. **श्री कैलाशपति मिश्र** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में नसाउ, बाहमास में हुई राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका पर की गई घोषणा का पाठ क्या है और क्या भारत इस घोषणा को दक्षिणी अफ्रीका सरकार के विरुद्ध एक प्रभावी तथा ठोस कदम मानता है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार से ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायण) : (क) और (ख) दक्षिण अफ्रीका के बारे में राष्ट्रमंडल देशों के नेताओं ने नसाउ बैठक में जो राष्ट्रमंडल समझौता स्वीकार किया था उसका पाठ सदन की मेज पर रख दिया गया है। (See below)

इस समझौते में यद्यपि व्यापक आदेशात्मक प्रतिबन्ध लगाने के बारे में प्रधान मंत्री का आह्वान शामिल नहीं है,

फिर भी यह प्रथमवास के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अभियान में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसमें दो चरणों में प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था है जो दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध निश्चित समय सीमा के लिये निर्धारित किये गये हैं इस समझौते में यह प्रस्ताव भी किया गया है कि राष्ट्रमंडल देशों के प्रख्यात व्यक्तियों का एक दल गठित किया जाये ताकि दक्षिण अफ्रीका के भीतर राजनैतिक बातचीत को सुविधाजनक बनाया जा सके जिसमें कि बहुसंख्यक अश्वेत समुदाय का सच्चा प्रतिनिधित्व शामिल हो।

दक्षिण अफ्रीका

राष्ट्रमंडल समझौता

हमारा यह विचार है कि दक्षिण अफ्रीका द्वारा पृथगवासन को समाप्त करने के लिये बराबर इन्कार करना, नामीबिया पर इसका अवैध कब्जा तथा अपने पड़ौसी देशों पर इसके आक्रमण राष्ट्रमंडल के मूल्यों और सिद्धान्तों के लिये एक गंभीर चुनौती है। एक ऐसी चुनौती जिसे राष्ट्रमंडल देश अनदेखा नहीं कर सकते। नई दिल्ली में हमने अपना यह विचार व्यक्त किया था कि "केवल पृथगवासन को समाप्त करके तथा संगठित और अविभाजित दक्षिण अफ्रीका के सभी लोगों द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार का स्वतंत्र और उचित प्रयोग करके बहुसंख्यक शासन की स्थापना करने से ही दक्षिण अफ्रीका में मौजूदा विस्फोटक स्थिति का एकमात्र और अंतिम हल निकल सकता है। हमारा यह एकमत विश्वास है कि विभिन्न प्रकार के दबाव डालने की नीति जो कि अब तक अपनाई जाती रही है, से अपेक्षित मूलभूत परिवर्तन नहीं हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में बढ़ते हुए संकट तथा दमन का यह अर्थ है कि यदि किसी बहुत बड़ी दुर्घटना को होने से रोकना है तो अब पृथगवासन को अवश्य समाप्त किया जाना चाहिये और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका पर कड़े दबाव डाले जाने चाहिए। हम यह समझते हैं कि इस स्थिति से निपटने के लिये तत्काल व्यवहार्य कदम उठाये जाने की आवश्यकता है :—

2. अतः हम प्रीटोरिया के प्राधिकारियों से यह अनुरोध करते हैं कि वे उचित तरीके से तथा तत्काल नीचे लिखे कदम उठाये :—

(1) यह घोषणा की कि पृथगवासन की व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा तथा उस उद्देश्य को पूरा करने के लिये विशिष्ट और सार्थक कार्रवाई की जायेगी।

(2) आपातकालीन की मौजूदा स्थिति को खत्म करें।

(3) पृथगवासन के प्रति अपना विरोध प्रकट करने के लिये जेल में बन्दी बनाये गये तथा गिरफ्तार किये गये नेलसन मंडेला और अन्य लोगों को तुरन्त और बिना शर्त के रिहा किया जाये।

(4) राजनैतिक स्वतन्त्रता स्थापित की जाये तथा विशेषकर अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य राजनैतिक दलों पर लगाया गया मौजूदा प्रतिबन्ध हटाया जाये।

(5) सभी ओर से हिंसा की वारदातों को समाप्त करने के लिए रंग, राजनीति और धर्म का भेदभाव किए बिना बातचीत की प्रक्रिया शुरू की जाये ताकि गैर जाति वादी और प्रतिनिधित्व वाली सरकार स्थापित की जा सके।

3. हम इस बात पर सहमत हुए कि प्रेटोरिया प्राधिकारियों पर प्रथगवासन तत्काल समाप्त करने और दक्षिण अफ्रीका में लोक तांत्रिक ढांचा स्थापित करने के लिए दबाव डालने के उद्देश्य से कई कदम उठाये जायें। विशेषकर उत्तरोक्त दूसरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बातचीत शुरू किए जाने की आवश्यकता है जिसमें कि दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक अश्वेत जनसंख्या का सच्चा प्रतिनिधित्व शामिल हो। हमारे विचार में इस प्रक्रिया में सहायता करने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं हमें अवश्य करना चाहिए। हम इस बात को मान्यता देते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में राजनैतिक समझौते का तरीका ढूंढने का काम उस देश के सभी लोगों का है।

4. इस उद्देश्य के लिए हमने यह फैसला किया है कि प्रख्यात राष्ट्रमंडल व्यक्तियों का एक छोटा दल गठित किया जाए ताकि वे सभी व्यवहार्य तरीकों के जरिये राजनैतिक बातचीत

की उस आवश्यक प्रक्रिया को शुरू करवा सकें। हम उन कठिनाईयों से भी अनभिज्ञ नहीं हैं जो इस प्रकार के प्रयास के रास्ते में आ सकती हैं। इनमें दक्षिण अफ्रीका के प्राधिकारियों द्वारा बातचीत के लिए शुरू में इंकार कर दिए जाने की संभावना भी शामिल है। किन्तु हम यह अपना कर्तव्य समझते हैं कि इस बात के लिये कोई कसर नहीं छोडी जानी चाहिए जो दक्षिण अफ्रीका में शांतिपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है और दक्षिण अफ्रीका के ऊपर हिंसा और संघर्ष के जो घनघोर बादल मंडरा रहे हैं और जिनसे देश के सभी समुदाय लोगों को तथा दक्षिण अफ्रीका के समूचे क्षेत्र को शांति और स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो गया है उन्हें रोक सकते हैं

5 हम जाम्बिया के हाइड्रपति तथा आस्ट्रेलिया बहामास कनाडा भारत यूनाइटिड किंगडम और जिम्बाबवे के प्रधान मंत्रियों से कह रहे हैं कि वे महासचिव के साथ इस प्रयास के तौर तरीकों का पता लगायें ताकि दक्षिण अफ्रीका में राजनैतिक बातचीत की प्रक्रिया में सहायता की जा सके। हम प्रख्यात व्यक्तियों के दल से इस बात की अपेक्षा करेंगे कि पैरा 2(ङ) में उल्लिखित बातचीत की प्रक्रियाओं को वे सुविधाजनक बनायें और सभी व्यवहार्य तरीकों द्वारा इस समझौते के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक हों।

6. अपनी ओर से हमने पृथगवासन का विरोध करने के लिए समान कार्रवाई का एक कार्यक्रम बनाया है जो नीचे लिखे अनुसार है :—

(1) हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 418 और 558 के अनुसार दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आदेशात्मक शस्त्र प्रतिबन्धों का सख्ती से पालन करने के लिए राष्ट्र मंडल के समर्थन की घोषणा करते हैं और हम इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़े से कड़े कानून के अनुसार कार्रवाई करने का संकल्प लेते हैं।

(2) हम 1977 की ग्लेनीग्लस घोषणा की पुनः पुष्टि करते हैं जिसमें राष्ट्रमण्डल सदस्यों से यह आह्वान किया गया था कि वे दक्षिण अफ्रीका के साथ खेल-कूद संबंध समाप्त करने के लिए सभी व्यवहार्य कदम उठाएं।

(3) हम दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध नीचे लिखे और आर्थिक प्रतिबन्धों को लगाने के लिए सहमत हुए हैं और अन्य सरकारों से ऐसे प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा करते है। अनेक सदस्य देशों ने इन प्रतिबन्धों को पहले ही लागू कर दिया है।

(i) दक्षिण अफ्रीका की सरकार और इसकी एजेंसियों को सभी नए शासकीय ऋणों पर प्रतिबन्ध।

(ii) कूगरेन्डस का आयात बन्द करने के लिए जो भी कार्रवाई सम्भव हों उसे एक पक्षीय तौर पर करने की तत्परता।

(iii) दक्षिण अफ्रीका जाने वाले व्यापार मिशनों अथवा दक्षिण अफ्रीका में प्रदर्शनियों और व्यापार मेलो में भाग लेने के लिए किसी प्रकार के सरकारी अनुदान व्यवस्था न करना।

(iv) दक्षिण अफ्रीका सैनिक बलों, पुलिस अथवा सुरक्षा बलों के प्रयोग में आने वाले कम्प्यूटर उपकरणों की बिक्री और निर्यात पर प्रतिबन्ध।

(v) दक्षिण अफ्रीका के साथ नाभिकीय सामान, सामग्री और प्रौद्योगिकी की बिक्री और निर्यात हेतु नई संविदाओं पर प्रतिबन्ध।

(vi) दक्षिण अफ्रीका को तेल की बिक्री और निर्यात पर प्रतिबन्ध।

(vii) दक्षिण अफ्रीका से हथियारों, गोला-बारूदों, सैनिक वाहनों और अर्द्ध-सैनिक उपकरणों के आयात पर सख्ती और कठोर प्रतिबन्ध।

(viii) दक्षिण अफ्रीका के साथ सभी सैनिक संबंधों पर निर्बंधन और

(ix) सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सभी गतिविधियों को हतोत्साहित करना केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां वे पृथगवासन समाप्त करने में सहायक हों अथवा किसी भी तरह वे इसे बढ़ावा न देती हों।

7. हमें आशा है कि हमने जो प्रक्रिया अपनाई है और हम जिन उपायों पर सहमत हुए हैं उससे छः माह में ही उपरोक्त की पूर्ति में मदद मिलेगी उपरोक्त पैरा 5 में उल्लिखित शासनाध्यक्षों अथवा उनके प्रतिनिधि इस स्थिति की

समीक्षा करने के लिए मिलेंगे । यदि उनकी यह राय है कि इस अवधि में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है तो हम और उपायों पर विचार करने के लिए भी सहमत हैं ।

उस अवस्था में हम में से कुछ अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों पर भी विचार करेंगे ।

(क) दक्षिण अफ्रीका के साथ हवाई-सम्पर्क पर प्रतिबन्ध ।

(ख) दक्षिण अफ्रीका में नए निवेश अथवा वहां अर्जित धन का पुनः निवेश पर प्रतिबन्ध ।

(ग) दक्षिण अफ्रीका से कृषि उत्पादों के आयात पर प्रतिबन्ध ।

(घ) दक्षिण अफ्रीका के साथ दोहरे कराधान करारों का निरस्त्रीकरण ।

(ङ) दक्षिण अफ्रीका में निवेश तथा उसके साथ व्यापार के लिए सभी शासकीय सहायता का निरस्त्रीकरण ।

(च) दक्षिण अफ्रीका में सभी शासकीय उपलब्धियों पर प्रतिबन्ध ।

(छ) बहुसंख्यक स्वामित्व वाली दक्षिण अफ्रीकी कम्पनियों शासकीय संविदाओं पर प्रतिबन्ध ।

(ज) दक्षिण अफ्रीका में पर्यटन को बढ़ावा देने पर प्रतिबन्ध ।

8. अन्त में हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि यदि उपयुक्त अवधि के दौरान उपरोक्त सभी उपायों के वांछित परिणाम प्राप्त न हो सकें तो अगले प्रभावी उपायों पर विचार करना होगा । हम में से कई ने उपरोक्त उपायों के अलावा भी या वो उपाए कर लिए हैं अथवा करने के लिए तैयार हैं तथा हममें से प्रत्येक को पूर्ण रुपेण और सभी उपयुक्त मंचों पर इस समझौते के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये कार्य करना होगा । फिर भी हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम का संयुक्त रूप से पालन करने से दक्षिण अफ्रीका में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय और समस्त दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने की संभावना बढ़ेगी ।

Border clashes with Pakistan

1235. SHRI GHULAM RASOOL KAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a> what is the number of border clashes with Pakistani since December, 1984; and

(b) whether there has been any loss of life and property; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT (SHRI ARUN SINGH); (a) and (b) There has been no border clash between Pakistan and India since December, 1984. However, in one incident i[n] the Siachen Glacier area, Pakistan troops made an unsuccessful attempt to dislodge our troops from their positions. There have been some cases of exchange of fire across the Line of Control in Jammu & Kashmir during the period resulting in some casualties on both sides.

Manufacture of Communication Accessories

1236. DR SHYAM SUNDER MOHAPATRA; Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that private companies with foreign collaboration have come forward to manufacture communication accessories as thrown open to them by Government; and

(b) if so, the names of such companies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND IN THE DEPARTMENTS OF ELECTRONICS, OCEAN DEVELOPMENT AND SPACE (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) and (b) Private parties are now permitted to manufacture subscribers' terminal equipment such .EPABX. Telephones, teleprinters, fascimile equipment etc. A number of private units have been given industrial approvals. These units could also seek foreign collaboration